रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102025-266773
CG-DL-E-08102025-266773

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4452] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 8, 2025/आश्विन 16, 1947
No. 4452] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 8, 2025/ASVINA 16, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4581(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2845(अ) दिनांक 23/06/2025, जो भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 25/06/2025 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में JTN#72 से JTN#10 तक JTN#137 & 130 से होते हुवे ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, द्वारा, गुजरात राज्य के रानीपुर - गांव, तहसील - जोटाणा एवं जिला - मेहसाणा में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को दिनांक 30/06/2025 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है; और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा ।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम,1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरूद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी ।

अनुसूची

पाइप लाइन फॉर ड्रिल साइट JTN#72 से JTN#10 तक JTN#137 & 130 से होते हुवे

तालुका:- जोटाणा जिला:- मेहसाणा राज्य:- गुजरात

गाँव का नाम		सर्वे / ब्लोक न.	भाग यदि कोई हो	क्षेत्रफल		
				हेक्टर	आर	सेन्टीआर
1		2	3	4		
1	रानीपुर	76		00	07	50
2		77		00	10	00
3		79		00	09	60
4		80		00	08	65
5		327		00	02	70
6		82		00	11	15
7		83		00	10	30
8		84		00	03	65
9		85		00	07	15
10		86		00	10	10
11		87		00	07	00
12		88		00	12	50
13		90		00	16	20
14		93		00	03	85
15		95		00	11	90
16		94		00	08	30
17		326		00	02	30
18		105		00	16	05
19		104		00	07	10
20		102		00	04	55
21		103		00	01	60
22		325		00	02	40
23		149		00	11	55

24		146		00	09	80
25		150		00	01	20
26		145		00	02	10
27		152		00	09	15
28		153		00	19	80
29		156		00	15	10
30		158		00	10	45
31		159		00	01	55
32		162		00	07	90
			कुल क्षेत्रफल	**02-63-15**		

[फा. सं. इएक्सपीएल-13011(26)/28/2025-इएक्सपीएल- पीएनजी (ई-53251)]

सचिन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2025

S.O. 4581(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2845(E) Dated 23/06/2025 issued under Sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra-ordinary Gazette of India dated 25/06/2025, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline from JTN#72 TO JTN#10 VIA JTN#137 & 130 in RANIPUR village, Taluka Jotana & District Mehsana in the State of Gujarat to be laid by Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

And whereas copies of the said Extra-ordinary Gazette notification were made available to the public up to dated: 30/06/2025.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Oil and Natural Gas Corporation Ltd. free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation Ltd., shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

PIPE LINE FOR DRILL SITE JTN#72 to JTN#10 via JTN#137 & 130

TALUKA:- JOTANA DISTRICT:- MEHSANA STATE:- GUJARAT

Name of village		**Survey No./ Block No.**	**Part if any**	**Area**		
				Hq.	**Are**	**Sq. mtr.**
1		**2**	**3**	**4**		
1	Ranipur	76		00	07	50
2		77		00	10	00

3		79		00	09	60
4		80		00	08	65
5		327		00	02	70
6		82		00	11	15
7		83		00	10	30
8		84		00	03	65
9		85		00	07	15
10		86		00	10	10
11		87		00	07	00
12		88		00	12	50
13		90		00	16	20
14		93		00	03	85
15		95		00	11	90
16		94		00	08	30
17		326		00	02	30
18		105		00	16	05
19		104		00	07	10
20		102		00	04	55
21		103		00	01	60
22		325		00	02	40
23		149		00	11	55
24		146		00	09	80
25		150		00	01	20
26		145		00	02	10
27		152		00	09	15
28		153		00	19	80
29		156		00	15	10
30		158		00	10	45
31		159		00	01	55
32		162		00	07	90
			Total Area	**02-63-15**		

[F. No. Expl-13011(26)/28/2025-EXPL-PNG (E-53251)]

SACHIN KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.10.08 20:53:23 +05'30'